

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक / ४७३८ / सालि. / 2020

राजनांदगांव, दिनांक 20.07.2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व में आज दिनांक तक कुल 1.38 करोड़ से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 5.93 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं, जिनमें 10.77 लाख से अधिक प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और 26 हजार से अधिक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5407 धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार राजनांदगांव जिले में भी विशेषतः नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिह्नित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 440 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान राजनांदगांव जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटीव केरा पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संकामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

- अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिये गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला राजनांदगांव के नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 23.07.2020 की मध्यरात्रि 12.00 बजे दिनांक 29.07.2020 रात्रि 12.00 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है:-

ब. यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

- नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है, सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
- जिले के नगरीय क्षेत्रों में समरत सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी वर्से, टैकरी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की

क्रमांक 2 पा

अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/ सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक रिथ्ति में तत्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

3. नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा रील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
4. नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, राष्ट्राधिक हाट-वाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
5. नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :—  
क— यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/ इकाईयों के अंदर करनी होगी।  
ख— आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ इकाईयों को रख्य करनी होगी।  
ग— संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समर्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।  
घ— इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समर्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/ इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
8. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/ अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे रख्य जिम्मेदार होंगे।
9. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी रिथ्ति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल हैं) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की रिथ्ति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
- स. फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिं रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/ प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :—
  1. पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्यपालिक मजिरट्रैट, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं रवारथ्य

कमशः.....3....पर

अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समरत कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शांसकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।

2. पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायरेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
8. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10.00 बजे तक होगी।
9. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक होगी।
10. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
11. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर ऑकर प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक प्रतिंध से मुक्त रहेंगे।
12. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम.वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
13. बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं।
14. जेल
15. अग्निशमन सेवाएं
16. ए.टी.एम.
17. टेलीकाम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें
18. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां
19. पशु चारा
20. पोस्टल सेवाएं
21. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति
22. टेक अवे/होम डिलिवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं
23. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
24. कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं।

  
20/7/2020

क्रमांक:.....4....पर

25. प्रिंट एवं इजेक्ट्रानिक मीडिया
26. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई गया
- द. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका-स. में वर्णित गतिविधियों के लिए वाईच है एवं काविड 19 के गकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे रामी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- ई. (1) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड राइला, 1860 के द्वारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।  
(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- उ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शारान द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26 / 2020 / 17-1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



पृ.क्रमांक/14738/सां.लि./2020  
प्रतिलिपि :-

*(Signature)*  
कलेक्टर  
30/7/2020  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
राजनांदगांव (छ.ग.)  
राजनांदगांव, दिनांक 20.07.2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, गृह विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेन्ज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव,
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव,
9. उप संचालक जनसम्पर्क राजनांदगांव,
10. सर्व तहसीलदार, जिला राजनांदगांव,
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला राजनांदगांव,
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला राजनांदगांव  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(Signature)*  
कलेक्टर 30/7/2020  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
राजनांदगांव (छ.ग.)